दैनिक न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा 15 को

रायगढ़ । रायगढ़ जिले अंतर्गत संचालित बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार, संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बायसी धरमजयगढ़ एवं कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्राटांगर घरघोड़ा हेतु कक्षा 6 वीं में प्रवेश दिये जाने के लिये अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 5 वीं परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों का 15 जुलाई 2021 को प्रातः 10.30 से दोपहर 12.30 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्र बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार, खरसिया जिला-रायगढ़ एवं बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धरमजयगढ़ में चयन परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। अभ्यर्थी जारी किए गए रोल नंबर जिले अंतर्गत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय सहायक आयुक्त कार्यालय एवं एकलव्य विद्यालयों से प्राप्त कर सकते है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा।

सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़ । खरसिया विकासखण्ड के ग्राम चपले निवासी दुर्गा प्रसाद पटैल की 6 जनवरी 2021 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर एसडीएम खरसिया द्वारा मृतक के पिता साखीराम पटैल को 25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

सामान्य सभा की बैठक 16 जुलाई को

रायगढ़ । जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल की अध्यक्षता में जिला पंचायत रायगढ़ के सामान्य सभा की बैठक 16 जुलाई 2021 को दोपहर 2 बजे से जिला पंचायत रायगढ़ के सभाकक्ष में आहूत की गई है।

सीएसआर के संबंध में बैठक 15 जुलाई को

रायगढ़ । रायगढ़ जिला अंतर्गत स्थापित औद्योगिक संस्थानों द्वारा सी.एस.आर. मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में किए गए कार्यों/व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित कार्यों के संबंध में 15 जुलाई 2021 को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आहूत की गई है।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को

रायगढ़ । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशन पर 10 जुलाई 2021 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल एवं फिजिकल माध्यम से जिला मुख्यालय रायगढ़ सहित तहसील न्यायालय किया जायेगा। जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों, श्रम संबंधी मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृति के मामलों के अलावा पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकव्हरी के प्रीलिटिगेशन वाद राजीनामा हेतु रखे जायेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा धारा 188 भा.द.सं.एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुये उक्त तिथि को विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालयों द्वारा निराकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इस लोक अदालत को हाइब्रिड लोक अदालत के रूप में आयोजित किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक में राजीनामा योग्य मामले के निराकरण संबंधी अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से व्यक्तिगत रूप से एवं फोन नंबर 07762-220189 एवं ईमेल dlsa.raigarh@gmail.com में संपर्क किया जा सकता है।

40 प्रतिशत यात्री किराये में वृद्धि एवं बस टैक्स माफ करने की मांग को लेकर यातायात महासंघ ने बसों की रैली निकाली

रायपुर (आरएनएस)। यातायात महासंघ के अध्यक्ष अनवर अली एवं नगर निगम के अध्यक्ष प्रमोद दुबे के नेतृत्व में बस ऑपरेटरों ने आज नये बस स्टैंड से 40 प्रतिशत यात्री किराये में वृद्धि एवं बसों का टैक्स माफ करने की मांग को लेकर बसों की रैली निकाली। उक्त रैली प्रदेश स्तर पर जिला मुख्यालयों में निकाली गई है। जहां पर बस ऑपरेटर संघ के सदस्य जिला मुख्यालयों के कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर उक्त मांग पूरी करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। रायपुर में बस महासंघ के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आसपास के प्रदेशों में यात्री किराये में वृद्धि हो गई है।

जुआ फड और सट्टा-पट्टी लिखने वालों से 1.64 लाख रूपये जब्त

» कोतवाली, धरमजयगढ़, छाल क्षेत्र में जुआ रेड की बड़ी कार्रवाई, नकदी समेत जुआरियों के मोबाइल जब्त

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा से जुआ-सट्टा, अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई करने के मिले निर्देश बाद कल दिनांक 07/07/2021 को सम्पूर्ण जिले में अभियान चलाकर जुआ-सट्टा, अवैध शराब पर कार्रवाई की गई है। एक ही दिन जुआ-सट्टा के 30 मामले विभिन्न थानाक्षेत्र अन्तर्गत बनाये गये हैं, जिसमें 1,64,000 रुपए नकदी तथा जुआरियों के मोबाईल एवं लाखों के सट्टा-पट्टी हिसाब किताब की जप्ती की गई है। थाना कोतवाली, छाल एवं धरमजयगढ़ क्षेत्र में बड़े जुआ फड़ पर कार्रवाई की गई है।

जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक अंजना केरकेट्टा व स्टाफ द्वारा ग्राम क्रोधा डेम के पास जुआरी- सुखदेव मण्डल, विकाश अग्रवाल, राजेश महंत, राजेश मण्डल, शंभू कुमार गुप्ता व मनोज विश्वास से नगदी रकम 30,100/- रूपये व आरोपियों के मोबाईल की जप्ती की गई तथा ग्राम क्रोंधा बस्ती के जुआ फड पर जुआरी- संजय मधु, सुरेश सारथी, उमेश देवनाथ, वासुदेव देवनाथ से नगदी रकम 20,300/- रूपये व जुआरियों के मोबाइल जप्त किया गया है।

छाल थाना प्रभारी विवेक पाटले द्वारा कल शाम ग्राम बेहरामार हाटी जंगल भीतर मुखबिर सूचना पर रेड कार्रवाई किया गया, जहां पांच जुआरियान (1) जोत राम पिता जगन राम उम्र 40 वर्ष साकिन कुडेकेला (2)गजानंद प्रसाद भास्कर पिता हीरा लाल उम्र 32 वर्ष साकिन बंगरसुता (3) दशरतन राठिया पिता संपत राठिया उम्र 19 वर्ष साकिन तरेकेला (4) ललित भास्कर पिता हीरा भास्कर उम्र 35 वर्ष साकिन कुडेकेला (5) मदन पटेल पिता हीरा पटेल उम्र 30 वर्ष साकिन हाटी जुआ खेलते पकड़े गये, जिनके कब्जे एवं फड से कुल रूपये 10,800/- जप्त किया गया है।

कोतवाली पुलिस द्वारा कल रात्रि लाल टंकी रोड के पास जुआ खेल रहे जुआडियान 1. विष्णु अग्रवाल पिता जगन्नाथ अग्रवाल उम्र 61 साल, 2. धमेन्द्र शर्मा पिता देवी प्रसाद शर्मा उम्र 49 साल, 3. ऋषि अग्रवाल पिता तुलसीराम उम्र 58 साल, 4.आशिक हुसैन पिता अमजद हुसैन उम्र 38 साल, 5. रवि कुमार शर्मा पिता रतन शर्मा उम्र 42 साल, 6.जावेद खान पिता जलील खान उम्र 42 साल साकिन रायगढ को पकड़ा गया जिनके पास से नकदी रकम 29,300 की जप्ती की गई है। जुआरियों पर धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

वहीं सट्टा-पट्टी लिखने वालों पर एक बार फिर विभिन्न थानाक्षेत्र अन्तर्गत कारवाई की गई है। इसी क्रम में सारंगढ़ क्षेत्र में 06 लोगों से सट्टा-पट्टी व नकदी रकम 9,340 रूपये, कोतवाली थानाक्षेत्र में 4 व्यकतियों से नकदी 3850 रूपये व सट्टा-पट्टी की जप्ती की गई है। इसके अतिरिक्त बरमकेला, खरसिया, धरमजयगढ़ और कोसीर में सट्टा-पट्टी लिखने वालों पर धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत प्रकरण बनाये गये हैं। आगे भी लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा

‘छोटा परिवार एवं सुखी परिवार’ विषय पर चित्रकारी एवं श्लोगन भेज सकते है 10 जुलाई तक

» चयनित प्रतिभागी होंगे पुरस्कृत

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा आयोजन दो चरणों में किया जा रहा है। जिसके तहत प्रथम चरणः- (जनसंख्या दम्पत्ति संपर्क पखवाड़ा) 27 जून से शुरू हुआ है जो 10 जुलाई 2021 तक चलेगा। जिसके अंतर्गत परिवार नियोजन के अस्थायी विधि जन्म में अंतर रखने का महत्व के बारें में दम्पतियों को जागरूक किया जा रहा है। इसी तरह द्वितीय चरणः- (जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा)11 जुलाई से 24 जुलाई 2021 तक चलेगा। जिसके अंतर्गत परिवार नियोजन सेवा प्रावधानो पर केंद्रित रहेगा जो कि कोविड-19 संबंधित समस्त सावधानियों एवं सलाह को पालन करते हुए किया जाना है।

जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के अंतर्गत रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्हाट्अप ऑनलाइन नम्बर 7647921193 के माध्यम से कोविड -19 के प्रभाव से सुरक्षित रखते हुए घर में रहते हुए जिले के सभी इच्छुक व्यक्तियों के लिये श्लोगन और चित्रकारी प्रतियोगिता का विशेष आयोजन किया जा रहा है। जिसका विषय ‘छोटा परिवार एवं सुखी परिवार’ है इस आयोजन में शामिल व्यक्तियों मे प्रथम, द्वितीय, तृतीय चयनित कर व्यक्ति को पुरूस्कृत किया जायेगा। प्रतिभागी 10 जुलाई 2021 शाम 5 बजे तक व्हाट्अप नं. 7647921193 पर ‘श्लोगन और चित्रकारी भेज सकते है।

सरिया और कोसीर में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब के साथ पकड़े गये आरोपी

» अवैध शराब पर हुई कार्रवाई में 118 लीटर शराब जब्त, खुलेआम शराब पीने वालों पर भी जारी है कार्रवाई

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा जिला पुलिस की कमान लेने के बाद जिले की पुलिसिंग में इस कदर कसावट लाये हैं कि प्रतिदिन विभिन्न थानाक्षेत्र अन्तर्गत जुआ, सट्टा व अवैध शराब पर रिकार्ड कार्रवाई की जा रही है। कल पूरे जिले में 30 मामले आबकारी एक्ट के बनाये गये हैं, जिसमें सरिया, कोसीर एवं पूंजीपथरा में महुआ शराब भारी मात्रा में जप्ती की गई है।

सरिया पुलिस द्वारा दिनांक 07/07/2021 के शाम बरपाली, जलगढ़ रोड पर आरोपी नारद चौहान पिता हेमरात चौहान उम्र 38 वर्ष सा0 बरपाली थाना सरिया को कांवर में शराब लेकर जाते हुये पकड़े। आरोपी से 30 लीटर महुआ शराब कीमती 6,000 रूपये का जप्त किया गया है। एक अन्य कार्रवाई में सरिया पुलिस आरोपी डिग्रीलाल चौहान पिता भुजबल चौहान उम्र 41 वर्ष सा0 बरपाली से 25 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। दोनों आरोपियों पर धारा- 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवई कर रिमांड पर भेजा गया है।

कोसीर पुलिस द्वारा आरोपी नवधा यादव पिता स्व. दरश राम यादव उम्र 40 वर्ष साकिन सिंघनपुर को घर पर शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री करने की सूचना पर पकड़ा गया है। आरोपी के कब्जे से उसके घर आंगन में रखी 13 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। एक अन्य कार्रवाई में कोसीर पुलिस समारू कुर्रे पिता जनी राम कुर्रे उम्र 46 वर्ष साकिन बरदुला थाना कोसीर के कब्जे से 17 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया है। इसी प्रकार थाना पूंजीपथरा में 15 लीटर महुआ शराब एवं थाना चक्रधरनगर व खरसिया क्षेत्र अन्तर्गत देशी व अंग्रेजी शराब अवैध बिक्री करते पकड़े गए आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

अवैध शराब बिक्री की कार्रवाई के साथ ही पुलिस की टीमें सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई जारी है। कल दिनांक 07/07/2021 को कोतवाली थानाक्षेत्र में 16 लोगों को खुलेआम शराब पीते पकड़ा गया था, जिन पर धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है , आने वाले दिनों में यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

युवा केन्द्र का निर्माण जल्द करें पूर्ण-कलेक्टर भीम सिंह

» कलेक्टर सिंह ने किया घरघोड़ा में निर्माणाधीन युवा केन्द्र का निरीक्षण

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने घरघोड़ा स्थित निर्माणाधीन युवा केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने युवा केन्द्र में प्रस्तावित बैठक व्यवस्था, कंप्यूटर लैब आदि की जानकारी दी। कलेक्टर सिंह ने कहा कि युवा केन्द्र क्षेत्र के युवाओं के लिए पढ़ने व प्रतिस्पर्धा परीक्षा तैयारी करने के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। यहां युवा आकर इंटरनेट के माध्यम से एवं पुस्तकों से पढ़ाई कर सकेंगे। यहां युवाओं को प्रतिस्पर्धा परीक्षा की तैयारी से संबंधित पुस्तकें, मैगजीन आदि उपलब्ध रहेंगे। युवा केन्द्र के माध्यम से युवाओं को नई वैकेंसी की भी जानकारी मिलेगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने निर्माणाधीन भवन में युवाओं की बैठक व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब आदि स्थापित करने की जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान कम्प्यूटर में इंटरनेट उपयोग कर पढ़ाई करने वाले व चेयर पर बैठकर पुस्तक पढ़ने वालों के बीच किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो इसका ध्यान रखने और कार्ययोजना के तहत ही युवा केन्द्र निर्माण करने के निर्देश कलेक्टर सिंह ने दिए। कलेक्टर सिंह ने युवा केन्द्र से क्षेत्र के युवाओं को मिलने वाले लाभ की जानकारी देते हुए इसे समय पर गुणवत्ता के साथ निर्माण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का किया निरीक्षण- घरघोड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का भी निरीक्षण कलेक्टर सिंह व जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल ने किया। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने भवन निर्माण के लिए टेंडर आदि की प्रक्रिया की जानकारी ली। बताया गया कि भवन निर्माण के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है और टेंडर प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में उच्चतर माध्यमिक शासकीय स्कूल में ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल की कक्षाएं निर्धारित की गई है। वर्तमान में यहां ऑनलाइन माध्यम से छोटे कक्षा के बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने प्रवेश की स्थिति की भी जानकारी ली और इसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यहां पदस्थ शिक्षकों से भी कलेक्टर सिंह ने चर्चा की। इस दौरान अंग्रेजी माध्यम के सभी टीचरों से कलेक्टर सिंह ने अंग्रेजी में बात कर शिक्षकों की काबिलियत को परखा और अंग्रेजी माध्यम स्कूल के टीचरों की तरह इंग्लिश लैंग्वेज पर बेहतर कमांड रखने और स्टैंडर्ड बनाये रखने के निर्देश दिए।

24 जुलाई से विकासखंड के समस्त ग्रामों में चलेगा सघन कुष्ठ सर्वेक्षण अभियान

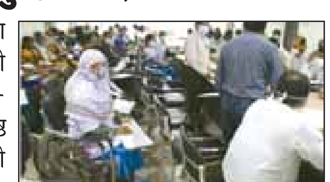

रायगढ़ । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के दिशा-निर्देशन एवं जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी की अध्यक्षता में विकासखंड पुसौर के समस्त स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी एवं मितानिन कार्यक्रम के प्रशिक्षकों को जनपद पंचायत पुसौर के सभा कक्ष में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत सक्रिय कुष्ठ रोगी खोज अभियान एवं सतत निगरानी कार्यक्रम (एसीडी एंड आरएस) प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में कार्यक्रम की रूपरेखा, गतिविधियों एवं कार्य के सफल संचालन हेतु विस्तृत रूप से चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। जिसके तहत आगामी 24 जुलाई 2021 से विकासखंड के समस्त ग्रामों में सघन कुष्ठ सर्वेक्षण अभियान चलाया जावेगा। इस मौके पर डॉ.बी.के. चंद्रवंशी खंड चिकित्सा अधिकारी, डॉ. दिनेश कुमार नायक प्रभारी कुष्ठ चिकित्सा अधिकारी, एम एम पटनायक एन एम ए कार्यक्रम प्रबंधक, पन्ना लाल साहू सचिवीय सहायक तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सात नाबालिग दस्तयाब, नाबालिगों के शोषण के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी

» थाना प्रभारियों को अधिक से अधिक गुम बच्चों की दस्तयाबी का दिये टार्गेट

» नाबालिगों के गुम मामलों पर संजीदा हैं एसपी अभिषेक मीणा

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा नाबालिगों के संबंध में दर्ज धारा 363 भादवि के मामलों को लेकर बेहद गंभीर हैं। दिनांक 06/07/2021 को पुलिस नियंत्रण कक्ष में आहूत अपराध समीक्षा बैठक पर गुम इंसानों की समीक्षा कर प्रभारियों को बताये कि प्रतिदिन थानों में दर्ज धारा 363 भादवि की तुलना में दस्तयाबी के मामले संतोषजनक नहीं हैं, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बाद गंभीरतापूर्वक मामलों की जांच किये जाने से सफलता मिलेगी। उनके द्वारा सुपरविजन राजपत्रित अधिकारियों को इस संबंध में समीक्षा करने निर्देशित कर थाना, चौकी प्रभारियों को अधिक से अधिक लंबित नाबालिगों की दस्तयाबी करने का लक्ष्य दिया गया है, जिस पर कार्रवाई करते पिछले दिनों 07 गुम इंसानों की दस्तयाबी की गई है, दस्तयाब किये गये नाबालिग थाना सारंगढ़ से 03, घरघोड़ा से 02, कोतवाली और कोसीर से 1-1 है। दस्तयाब की गई बालिकाओं का सीडब्लूसी से कथन पश्चात उनके शोषण के मामलों पर आरोपियों के विरूद्ध पास्को एक्ट की कार्रवाई की गई है। कुछ मामलों में परिजनों से नाराज होकर नाबालिग घर छोड़ चले गये थे, जिन्हें पुलिस तलाश कर उनके घर लाई है। कई मामलों में नाबालिगों को प्रेम प्रसंग में फंसाकर आरोपी द्वारा उनका शारीरिक शोषण करना सामने आया है, ऐसे सभी मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी पास्को एक्ट के तहत की जा चुकी है, जिनमें समायावधि में चालान पेश किया जावेगा।

घरघोड़ा पुलिस द्वारा दस्तयाब किये गये दोनों बालिकाओं के संबंध में अपराध क्रमांक 224/19 एवं 205/21 धारा 363 दर्ज है। अप.क्र. 224/2019 की अपहृता को आरोपी धनंजय चौहान पिता जागेश्वर चौहान उम्र 30 वर्ष निवासी आडपाथर थाना खरसिया दिनांक 15/11/2019 के रात्रि बहला फुसला कर भगा ले गया था। दोनों अमृतसर पंजाब में रह रहे थे, लॉकडाउन के कारण आ नहीं पाये। जब उन्हें थाने में अपराध दर्ज होने की जानकारी हुई तो सक्ती (जांजगीर-चांपा) में लुकछिप कर रह रहे थे, आरोपी के कब्जे से बालिका की दस्तायाबी की गई है।

थाना घरघोड़ा के अप.क्र. 205/2021 की नाबालिक को आरोपी सुंदर लाल यादव मंगलू यादव उम्र 21 वर्ष सरसींवा जिला बलौदा बाजार हाल मुकाम तुमीडीह थाना पूंजीपथरा अपने साथी सोम नाग निवासी खमतराई खड़ामचान थाना बागबाहर के साथ दिनांक 30/06/2021 की रात्रि मोटर सायकल में भगा कर ले गया था। घरघोड़ा पुलिस तुमीडीह थाना पूंजीपथरा से बालिका को दस्तयाब किया गया है। आरोपी सुंदर लाल यादव को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है जबकि उसके साथी सोम नाग को भी संयुक्त आरोपी बनाया गया है, जो फरार है।

कोतवाली थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 910/2021 की अपहृत बालिका को आरोपी विजय सिंह राजपूत पिता बच्चू सिंह राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी मुड़ापार कोरबा जो थाना पूंजीपथरा पूर्वांचल ढाबा में काम करने के दौरान लाखा क्षेत्र की नाबालिग बालिका को भगाकर कोरबा ले गया था। जहां से दोनों बिलासपुर में रह रहे थे, कोतवाली पुलिस आरोपी का मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर नाबालिक को बिलासपुर से दस्तयाब कर आरोपी के साथ लाया गया है। प्रकरण में आरोपी पर पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

सारंगढ़ के अपराध क्रमांक 147/19 के अपहृता की दस्तयाबी मौदहापारा जूटमिल से की गई है। बालिका बताई कि माता-पिता से नाराज होकर घर छोड़ चली गई थी, रायगढ़ काम कर अकेली रहती थी। बालिग होने पर अपने पसंद के लकड़े से शादी कर रह रही थी।

इसी क्रम में थाना कोसीर के अप.क्र. 139/2021 धारा 363 ताहि, सारंगढ़ के अपराध क्रमांक 206/2021 एवं 180/2018 धारा 363 भादवि के गुम बालिकाओं की दस्तयाबी किया गया है जिसमें नाबालिगों का कथन सीडब्ल्यू से कराया जा रहा है जिसके बाद अग्रिम विधिवत कार्यवाही की जावेगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480